

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व बोर्ड जबलपुर म. प्र. 7205-116

A-275-116

राजस्व अपील क्रमांक

/2016

अपीलाधी :  
आवेदक

साकार कंस्ट्रक्शन

द्वारा : पार्टनर मनीष जायसवाल

पिता श्री आर०एस० जायसवाल, उम्र लगभग

45 वर्ष पेशा : व्यवसाय, निवासी:

2324/बी, राईट टाउन जबलपुर म. प्र.

श्री एस. एम. सिवारी  
कमिश्नर द्वारा  
पुनर्पत्र  
जबलपुर  
29.9.16

विरुद्ध

प्रत्यक्षी :  
अनावेदक

कलेक्टर आफ स्टाम्प जबलपुर

जिला जबलपुर म. प्र.

S M Grewal  
29-9-16 Adv.

रिजीजन  
राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 56(4) स्टाम्प अधिनियम 1899 न  
म. प्र. राजस्व संहिता 1959

प्रस्तुत राजस्व अपील न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला  
जबलपुर के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 51/बी-103/48/2009-  
2010 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2013 से ब्यथित होकर निम्न  
लिखित तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत है:-

निगरानी  
अपील के तथ्य



- यहकि, अपीलाधी के विरुद्ध राजस्व वसूली राशि रुपये  
2029585.00 का मांग पत्र जिला नृजीयक द्वारा जारी किया गया,  
जिससे अपीलाधी को यह जानकारी हुई कि उसके विरुद्ध बकाया राशि  
20,30,010/- रुपये की वसूली होना है, जो कि वर्तमान में  
मय छई सहित 20,29,585/- रुपये की राशि हो गयी है।


BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - ~~3/16~~ -7205-एक/16

जिला - जबलपुर

दिनांक एवं स्थान	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/03/2018	<p>आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं। समय-समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई, परंतु कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	

3

पक्षकारों एवं  
आदि के हस्ताक्षर